भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **3943**
दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 / 21 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

बेगमपेट विमानपत्तन को थल सेना को हस्तांतरण

3943. **श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:**
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बेगमपेट विमानपत्तन को थल सेना को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) तथा (ख): जी, नहीं। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार तथा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (हॉयल) के मध्य किए गए रियायत करार के खंड 5.5.1(ख) के उपबंधों के अनुसरण में विद्यमान बेगमपेट हवाईअड्डा वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए बंद कर दिया गया है, इस करार में प्रचालन के लिए हवाईअड्डा खोले जाने की तिथि से भारत सरकार से विद्यमान हवाईअड्डे को न खोले जाने तथा वाणिज्यिक नागर विमान प्रचालनों के लिए उपयोग में न लाए जाने का सुनिश्चय करने की अपेक्षा की गई है। रियायत करार के खंड 5.2 की ''अपवर्जिता'' के अनुसार हवाईअड्डा खोले जाने की तिथि से 25वें वर्ष की अंतिम तिथि से पूर्व हवाईअड्डे से 150 किलोमीटर की आकाशीय दूरी के दायरे में भारत सरकार द्वारा किसी नए अथवा विद्यमान हवाईअड्डे का विकास किए जाने अथवा अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्देशीय हवाईअड्डे के रूप में सुधार अथवा उन्नयन किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

*****